Anveshan (अन्वेषण): A Multidisciplinary Journal in Hindi
Vol. 2, Issue 1 – 2018

मण्डल कमीशन आयोग के विरोध में आन्दोलन की वैचारिक पृठभूगि का एक अध्ययन

डॉ0 परमेश्वर कुमार पाण्डेय

प्रस्तावना

मण्डल कमीशन आयोग का गठन 20 दिसम्बर 1978 को बी0पी0 मण्डल की अध्यक्षता में हुआ था । 31 दिसम्बर 1980 को आयोग की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की गयी संविधान के आधार पर 1953–1955 के मध्य प्रथम पिछडा वर्ग आयोग का निर्माण किया गया। संविधान की धारा 340 के तत्वावधान में यह आयोग बना जिसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे। केन्द्रीय सरकार ने काका कालेकर रिपोर्ट को ठण्डे बिस्तर में डाल दिया।

मण्डल कमीशन आयोग जिसकी रिपोर्ट भेद–भाव पर आधारित थी। गैर कांग्रेसी सरकार द्वारा बनाया गया आयोग 1980 में रिपोर्ट आने के बाद सत्ता में परिवर्तन हुआ तथा कांग्रेस ने इसे किनारे लगा दिया। गैर कांग्रेसी विपक्षी दल ने इसको लागू करने के लिए अनेक बार जनता से वायदे किये लेकिन 10वर्ष तक इस रिपोर्ट पर कोई कार्यान्वयन नहीं किया जा सका। 7 अगस्त 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व मे कार्यरत गैर कांग्रेसी जनता दल की सरकार ने एकाएक मण्डल कमीशन की संस्तुतियों को लागू करने की घोषणा कर दी। परिणाम यह हुआ कि देश के नागरिक जातिगत संघर्ष में उलझते चले गये। वोट बैक के लालच में प्रत्येक राजनीतिक दल जाति के कटघडे में खडा हो गया। देश के इस अन्धकारमय वातारण में प्रेस ने अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वाह किया।

मण्डल कमीशन आयोग के विरोध में आन्दोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि बनी तथा इसका व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ। बुद्विजीवी चिकित्सक, वकील, तकनीकी बुद्विजीवी तथा स्कूल कालेजो तथा विश्वविद्यालयों में इसका विरोध हुआ यद्यपि कि यदा–कदा मण्डल समर्थक भी इसके समर्थन में सडको पर आये, लेकिन इसकी संख्या नगण्य थी। न्यायिक एंव वैचारिक आधार पर तथा आत्मा की आवाज के आधार पर यह देश के विकास के विरूद्व था।

शोध पत्र का उददेश्य

शोध पत्र का उददेश्य समाज में फैली हुई भ्रान्तियो को दूर करना तथा आरक्षण के वास्तविक पहलू पर प्रकाश डालना है जिससे लोग अवगत हो सके कि सरकार का कार्य आरक्षण नही बल्कि सेवाओ का विस्तार करना होना चहिए जिससे प्रत्येक हाथ को काम मिले। आरक्षाग एक वैशाखी है जो स्वस्थ व्यक्ति को विकलांग बना सकता है। आरक्षग विकास का नही विनाश का पैमाना है। भारत के अतिरिक्त किसी भी देश में आरक्षण की व्यवस्था नही है। आरक्षण का तात्पर्य धोडे को अस्त बल में बांधकर गदहों को विकास रूपी रेस में दौड़ाना तथा उसी में से कुछ गदहों का चुनाव करना है।

*प्राचार्य, जी0डी0एस0बी0 पी0जी0 कालेज, उरापुर, कानपुर देहात।
Correspondence E-mail Id: editor@eurekajournals.com

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. **ISSN: 2581-4044**

शोध पत्र का उददेश्य यह भी है कि प्रतिभा ही विकास का मानक है। प्रतिभा पलायन देश के दुर्भाग्य को बढाता है। यदि आरक्षण का फार्मूला ऐसे ही चलता रहेगा तो भारत गदहों का देश हो जायेगा। मंण्डल कमीशन आयोग का लक्ष्य देश में समानता स्थापित करना नही है बल्कि उसका उददेश्य पिछडी जातियो के वोट पर आधिपत्य स्थाप्ति करना है।

समाज में अयोग्य व्यक्ति यदि किसी पद पर आरक्षण के आधार पर जाता है तो उस पद की गरिमा भी कम हो जाती है। एक अयोग्य व्यक्ति यदि शिक्षक बनता है तो वह जितने वर्ष नौकरी करता है उतनी पीढिया बर्बाद करता है। अयोग्य चिकित्सक इलाज नही बल्कि समाज एंव राज्य में चिकित्सा के प्रति लोगो का विश्वास खराब करता है। भारत में आरक्षित एंव अयोग्य चिकित्सको के कारण समृद्व लोग विदेशो में इलाज कराते है जिससे देश का पैसा विदेशो में जाता है। अरूण शौरी ने मण्डल कमीशन आन्दोलन को एक महान भूल बताया।

शोध पत्र का यह भी उददेश्य है कि सभी जातियों में यह सन्देश देना कि वे चाहे आरक्षण समर्थक हो या विरोधी दोनो के लिए धातक है क्योकि अयोग्य व्यक्ति पद प्राप्त करने के बावजूद जीवन कर कुण्ठा में रहता है उसे न तो सामजिक सन्मान मिलता है और न ही उसके व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास हो पाता है।

शोध प्रविधि

शोध पत्र में आरक्षित एंव अनारक्षित दोनो वर्गो के विचार लिए गये। इसमे ऐतिहासिक एंव विश्लेषणात्मक पद्धति का सहारा लिया गया है। इसके अन्तर्गत राजनैतिक एंव संवैधानिक विश्लेषण प्रस्तुत किये गये है।

1. **METHODLOGY AND DATA BASE:** One serious defect noticed by the government in the report of first backward classes commission was that it had not formulated any objective criteria for classifying other backward classes (OBCS) The need for field surveys and formulation of objective tests has also been repeated by emphasized by the supreme court in serve cases. In view of this the commission has taker special care to tap a number of independent sources for the collection of primary data. some of the important measures taken in this connection were seminar os sociologists on social back warders issue of three sets of question naives to state governments central government and the public extensive touring of the country by the commission taking evidence of legislatures, eminent publicments, sociologists etc under taking a country wide social educational survey preparation of reports on samc important issues by specialized eqencies analysis of census data etc by adopting this multilateral approach the commission was able to cast its net for and wide and prepared a very firm and depencable data , base for its report
2. **SOCIAL DYNAMICS OF CASTE:** Caste system has been able to survive over the centuries because of its inherent resilience and its ability to adjust itself to the even changing social reality.

Equality before the low is a basic furdamental right guaranteed under Article 14 of the constitution but the principle of equality is a double edged weapon. It places the strong and the handicapped on the same fooling in the race of life. It was the view of these considerations that our constitution makers made special provision under articles 15(4) and 46 etc . To protect the interests of SC&OBC.

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-4044

साहित्य समीक्षा

प्रस्तुत शोध पत्र अत्यन्त प्रासंगिक एंव महत्वपूर्ण है। इसमें सवैधानिक पहलुओ पर विचार किया गया है। सामग्री का चयन दुरुह एंव कठिन है। शोध पत्र में पुस्तको, पत्र–पत्रिकाओ विचारको के विचार आडिटोरियल इत्यादि का सहारा लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय अधिकतम पचास प्रतिशत के ऊपर के आरक्षण खिलाफ है। जबकि सरकार आर्थिक पिछडो को 10 प्रतिशत आरक्षण देने को तैयार है जो पचास प्रतिशत से अधिक हो जायेगा। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार एव बिहार मे लालू प्रसाद की सरकार ने आरक्षण के नान पर लम्बे समय तक शासन किया। महत्त्पूर्ण पत्रकारो, संविधान विदों वकीलो ने गिन्न गिन्न गध्यगों रो संदेश दिया कि पिछडो को सामाजिक धारा से जोडना आवश्यक है लेकिन मण्डल कमोशन की रिपोर्ट भेदभाव पर आधरित है। राजेन्द्र अवस्थी, गिरिलाल जैन, अरूणपुरी, चन्दन मित्रा, अरूण शौरी ने अपनी लेखनी उठाई। प्रेस ने लोगो में जागरूकता पैदा की। प्रेस ने यह भी दिखाया कि कलम की ताकत के आगे बडी सरकारो के कठिनतम निर्णय भी बदल जाया करते है। वस्तुतः प्रेस सुधार वादी एक स्तम्भ है।

विमर्श

मण्डल आयोग का गठन श्री विन्देश्वरी प्रसाद मण्डल की अध्यक्षता में 20 दिसम्बर 1978 को हुआ था 21 मार्च 1978 को जनता पार्टी सरकार के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई के उदघाटन भाषण के बाद इसने काम करना शुरू किया, और काग्रेस सरकार को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समापन भाषण के साथ 12 दिसम्बर 1980 को इसने अपना काम समाप्त किया। दो खण्डो मे प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आयोग ने 3743 जातियो की शिनाख्त करके उन्हे पिछडी जातियो में रखा। इन जातियो का कुल जनसंख्या में अनुपात 52 प्रतिशत के लगभग है, लेकिन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव के अनुसार आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत रखने के लिए पिछडी जातियो के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की। आयोग ने पिछडेपन को निर्धारित करने के लिए जाति, व्यवसाय,आर्थिक स्थिति आदि पर नौकरियो को अपनाया है। और इन सबके लिए उन्होने भारांक दिये है। किन्तु जाति की कसौटी को प्राथमिक माना गया है। क्योकि आयोग के विचार से भारतीय समाज जातियों में बंटा हुआ है और इसमें जाति ही मूल समूह है। रिपोर्ट की एक विशेषता यह है कि इसमें न सिर्फ हिन्दुओ के बल्कि मुसलमानो, इसाइयो सिखो आदि के पिछडे समूहो की शिनाख्त भी की गयी है। और उन्हे पिछडी जातियो के कोटे में सुविधायें देने की सिफारिश की है। संक्षेप में यह रिपोर्ट देश के सभी आबादी सभी सम्प्रदायो को चार वर्गो में विभाजित करती है जैसे–स्वर्ण, जातिया, पिछडी जातियां, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां और उनके बीच जनसंख्या के अनुपात में सत्ता और सुविधाओ के वितरण द्वारा समतामूलक समाज के संवैधानिक लक्ष्य की ओर बढने की सिफारिश करती है।

वास्तव में हमारे लम्बे इतिहास में इसके लिए अनेक आन्दोलन चले। बुद्व, महावीर, कबीर, नानक आदि से लेकर दयानन्द, फूले नायकर, डा0 अम्बेडकर और डा0 लोहिया तक सामाजिक समता के लिए निरन्तर आन्दोलन चलाये।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि गांधी एंव अम्बेडकर के बीच यह समझौता कि–

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-4044

1. हिन्दुस्तान के सरकारी नौकारियों में आरक्षण गलत है क्योकि सरकारी नौकरियां, नौकरो के लिए नही समाज सेवा के लिए होती है। यदि पिछडी जातियाँ प्रशासन की दया दृष्टि पर ही भरोसा रखे तो उन्हे अधिक लाभ हो सकता है।
2. जाति के आधार पर पिछडेपन की शिनाख्त करने से जाति व्यवस्था स्थायी तौर पर बनी रहेगी, और सुविधाये उन जातियो के कुछ लोगो को ही मिलगी, असली जरूरत मंदो तक सुविधाये नही पहुंचेगी।

काग्रेसी नेता जवाहर लाल नेहरू राजेन्द्र प्रसाद जैसे लोग भी उपर्युक्त सिफारिशो से सहमत थे और आरक्षण के विरोधी थे। काग्रेस के अलावा जनसंध और साम्यवादी दल भी आरक्षण व्यवस्था के विरूद थे। डा0 लोहिया की समाजवादी पार्टी को छोडकर किसी राजनीतिक दल की आरक्षण व्यवस्था पर आस्था नही रही।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः शोध पत्र में आरक्षण जो एक सामाजिक व्यवस्था या एक प्रकार की सामाजिक समस्या है। भारत भिन्न–भिन्न धर्म जाति एंव भिन्न संस्कृति का देश है। विदेशी आक्रान्ता दूसरे देशो से आये और यहा रच बस गये। यद्यापि कि अग्रेजो से पूर्व भारत में छोटे छोटे राज्य थे एंव अलग अलग क्षेत्रो के अलग अलग राजा थे। अग्रेजो के शासन के बाद भारत में राजनीतिक एकता का निर्माण हुआ। भारत में जातिवाद भी एक बडी समस्या है। भारत की जातिवादी व्यवस्था को समझे बिना भारतीय राजनीति एंव समाज को समझना असम्भव है।

भारत में कार्यो के आधार पर जातियो का वर्गीकरण किया गया था। भारत में कभी भी बेराजगारी की समस्या नही रही। ब्राहम्ण का पुत्र शिक्षा दीक्षा, ज्योतिष विद्या तथा पाण्डित्यः कर्म, क्षत्रिय का पुत्र राज्य कार्य सेना, वैश्य का पुत्र व्यापार, नाई का पुत्र नाई का कार्य, बढई का पुत्र बढई का कार्य तथा लोहार का पुत्र लोहे से यन्त्र बनाने का कार्य किया जाता रहा जिसे आज इन्जिनियर के रूप में जाना जाता है। आज इसका रूप बदल गया है। तकनीकी कार्यो में काम वही पद की गरिमा बढी है।

पिछडी जातियां यदि पिछडी रही तो इसका दोष इन जातियों का ही है क्योकि इन्होने शिक्षा के महत्व को नही समझा और अतीत में मूर्खतावश शिक्षा की उपेक्षा की। अतः उनका अब सरकारी नौकारियो आदि में विशेष सुविधाओ की मांग करना गलत है। आरक्षण समानता स्थापित करने का मापदण्ड नही है। मण्डल कमीशन के आधार पर आरक्षण देना शत प्रतिशत गलत है। आरक्षित वर्ग जिनका आर्थिक आधार अमीर सवर्णो से भी ऊपर है।

सूची के आधार पर न केवल आरक्षण बल्कि महत्वपूर्ण योजनाओ तथा शिक्षा के माध्यम से उनके जीवन स्तर को एक समय सीमा के अन्दर उपर उठाकर पुनः आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। तथा यह व्यवस्था बनानी चहिए। कि व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे तथा आवश्यकता के अनुसार उसे प्राप्ति हो। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक निश्चित पूंजी हो। निश्चित पूंजी के अतिरिक्त पूंजी को सरकारी सम्पति धोषित कर उसे राष्ट्रीय आय में शमिल किया जाना चहिए।

निष्कर्षता

कहां जा सकता है कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था से किसी भी जाति या वर्ग का भला होने वाला नही है अमीर गरीब की खाई कभी नही कम होगी। अतः मण्डल कमीशन आयोग के विरोध में आन्दोलन को एक वैचारिक पृष्ठ भूमि तैयार कर तथा

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-4044

अगडे एंव पिछडे में सामंजस्य स्थापित कर जातिगत आधार पर नही बल्कि आर्थिक आधार प्रस्तुत कर एक समय सीमा के अन्तर्गत कमजोरो के विकास का अध्ययन किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

[1]. B.R. Verma, 1985, Relation of Reservations, National Herald (Sunday Herald) August 11 P1.
[2]. Viswan S. 1985, The Reservation Conundrum Mainstream 23(35) April 27 P.3.5.
[3]. S.P. Agarwal, Educational and Social Uplift of Backward Classes, New Delhi 1990.
[4]. अरूण शौरी, संडे आंबजर्जर 15, 2 सितम्बर 1990.
[5]. अरूण शौरी, मण्डल आयोग 26 अगस्त 1990 आंवर्जवर।
[6]. चन्दन मिश्रा, मण्डल आयोग, सण्डे आंवर्जवर।
[7]. भानु प्रताप शुक्ल, पांचजन्थ, 16 सितम्बर 1990.
[8]. नवभारत टाइम्स, 2 सितम्बर 1990.
[9]. विश्वनाथ, गैर पिछडो को गुस्सा आता, नवभारत टाइम्स 16 सितम्बर 1990.
[10]. राजकिशोर, नवभारत टाइम्स, 22 अगस्त 1990.
[11]. Khanna, H.R., Hindustan Times, September 13, 1990.
[12]. Khusro, AM, Indian Express, September, 13, 1990.
[13]. Puri, Rajender, Hindustan times, September, 11, 1990.
[14]. Madhok, Balraj, The Hindu, 13 September, 1990.
[15]. India Today (Periodical, 1990 September, 15).

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved. ISSN: 2581-4044